न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वाद 69/2019 (2019/00072)

1. श्रीमति छोटी देवी पत्नि श्री लखमा उर्फ लक्ष्मण जाति मीणा।
2. रामेश्वर पुत्र श्री लखमा उर्फ लक्ष्मण जाति मीणा।
3. मु0 कमलेश पुत्री श्री लखमा उर्फ लक्ष्मण जाति मीणा।
4. मु0 मन्नी पुत्री श्री लखमा उर्फ लक्ष्मण जाति मीणा।
5. श्रीमति सीमा पत्नि श्री परमेश पुत्र श्री लखमा उर्फ लक्ष्मण जाति मीणा निवासी गिरवरपुरा(नापाखेडा) तहसील सावर जिला अजमेर।
6. जयनारायण नाबालिग पुत्र परमेश जाति मीणा।
7. कुमारी कोमल नाबालिग पुत्री श्री परमेश जाति मीणा।
8. कुमारी दुर्गा नाबालिग पुत्री श्री परमेश जाति मीणा जरिये वलीया माता श्रीमति सीमा पत्नि श्री परमेश मीणा निवासीगण गिरवरपुरा (नापाखेडा) तहसील सावर जिला अजमेर।

——वादीगण

♠ बनाम ♠

1. तेजाराम पुत्र श्री सुक्खा जाति मीणा निवासी गिरवरपुरा(नापाखेडा) तहसील सावर जिला अजमेर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, सावर जिला अजमेर।
3. श्रीमान मैनेजर महोदय, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा सावर जिला अजमेर।

——— प्रतिवादीगण

उपस्थितः—

1. श्री लेन्सी झंवर —वादी अधिवक्ता
2. श्री हेमराज कानावत—प्रतिवादी—1, अधिवक्ता
3. श्री पवन सिंह भाटी—प्रतिवादी संख्या—2 अधिवक्ता

वाद पत्र अंतर्गत धारा 88,व 89 राज.टिनेन्सी एक्ट सपठित धारा 136 राज.लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

—:: निर्णय ::—

दिनांक 18.5.2022

वादीगण ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 व 89 राज. टिनेन्सी एक्ट सपठित धारा 136 राज. लेण्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत पेश किया। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। कि निम्नलिखित आराजीयात वाके ग्राम काल खेत (निमेडा) पटवार हल्का गिरवरपुरा तहसील सावर जिला अजमेर में स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

खाता संख्या नया—पुराना	खसरा संख्या	रकबा	किस्म
80—69	312	0.8200	चाही प्रथम

उक्त आराजी के रजिस्टर्ड क्रेता लखमा उर्फ लक्ष्मण पुत्र श्री कजोड़ जाति मीणा निवासी गिरवरपुरा (नापाखेड़ा) का दिनांक 05.09.2015 को स्वर्गवास हो चुका है जिसके वादीगण ही वारिसान है । मृतक लखमा उर्फ लक्ष्मण के वादीगण विधिक वारिसान है जिन्हें वाद प्रस्तुत करने का विधिक अधिकार प्राप्त है। मृतक लखमा उर्फ लक्ष्मण पुत्र कजोड़ के परिवार का वंशज सजरा निम्न प्रकार है रू—

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.05.30 13:38:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

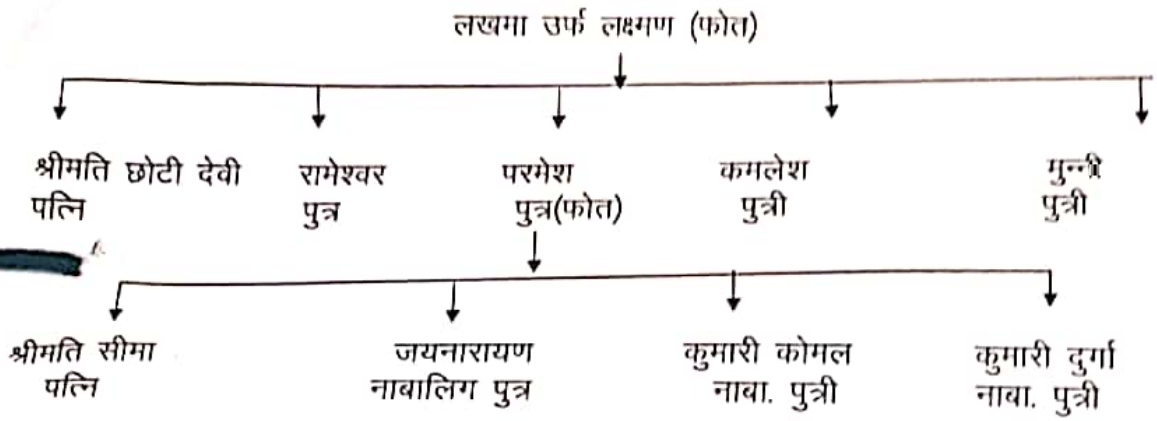

लखमा उर्फ लक्ष्मण (फोत)

- श्रीमति छोटी देवी — पत्नि
- रामेश्वर — पुत्र
- परमेश — पुत्र(फोत)
  - श्रीमति सीमा — पत्नि
  - जयनारायण — नाबालिग पुत्र
  - कुमारी कोमल — नाबा. पुत्री
  - कुमारी दुर्गा — नाबा. पुत्री
- कमलेश — पुत्री
- मुन्नी — पुत्री

उक्त वाद वर्णित आराजी को वादीगण के पिता, पति, दादा मृतक लखमा उर्फ लक्ष्मण पुत्र कजोड़ मीणा ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र तारीख 20.06.1998 को प्रतिवादी संख्या 1 तेजाराम पुत्र सुक्खा एवम् राधाकिशन पुत्र श्री सुक्खा जाति मीणा निवासी गिरवरपुरा (नापाखेड़ा) से खरीदकर कब्जा काश्त प्राप्त किया था । विक्रेता राधाकिशन पुत्र सुक्खा नाओलाद फोत हो चुका है जिसका एकमात्र वारिस प्रतिवादी नं0 1 ही है । मृतक लखमा उर्फ लक्ष्मण के जीवनकाल में मृतक लखमा उर्फ लक्ष्मण का खरीद इमरोज तिथि 20.06.98 से वाद वर्णित आराजी पर कब्जा काश्त था तथा उनके स्वर्गवास के पश्चात दिनांक 05.09.2015 से वाद वर्णित खरीदशुदा आराजी पर वादीगण का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है एवम् वर्तमान में वादीगण ही उक्त आराजी पर भौतिक रूप से काबिज है । प्रतिवादी नं0 1 एवम् उसके भ्राता राधाकिशन द्वारा बेचान किये जाने के पश्चात उक्त वाद वर्णित आराजी से प्रतिवादी नं0 1 का कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं रहा। उक्त वाद वर्णित आराजी का रजिस्टर्ड विक्रयपत्र के मुताबिक मृतक लखमा उर्फ लक्ष्मण ने नामान्तरकरण स्वीकृत कराने हेतु कई मर्तबा राजस्व कर्मचारियों को निवेदन किया गया लेकिन मृतक लखमा उर्फ लक्ष्मण क्रेता की कोई सुनवाई नहीं की एवम् उनके स्वर्गवास के पश्चात वादीगण नामान्तरकरण प्रक्रिया से एवं विधिक सलाह से अनभिज्ञ होने से वर्तमान में उक्त आराजी विक्रेता प्रतिवादी नं0 1 तेजाराम के नाम राजस्व रिकार्ड में अंकन हो रखी है जिससे वादीगण को वाद वर्णित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी नं0 1 तेजाराम का नाम विलोपित किया जाकर वादीगण के नाम रिकार्ड जमाबन्दी में बतौर खातेदार इन्द्राज दुरूस्त किया जाना न्यायहित में अति आवश्यक है जिससे वादीगण को वाद प्रस्तुत करना लाजमी आया है। राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी नं0 1 का गलत नाम अंकन होने से दिनांक 15.04.2019 से प्रतिवादी नं0 1 वादीगण के कब्जे काश्त में बाधा एवम् अवरोध उत्पन्न कर रहा है तथा वाद वर्णित बेचानशुदा आकराजी को बेचान किये जाने के बावजूद प्रतिवादी नं0 1 ने प्रतिवादी नं0 3 के पास रहन रखकर अवैध रूप से ऋण प्राप्त कर लिया जिससे उक्त आराजी को प्रतिवादी नं0 1 द्वारा प्रतिवादी नं0 3 से रहन मुक्त कराया जाना आवश्यक है। प्रतिवादी नं0 1 ने जानबूझकर बैंक प्रतिवादी नं0 3 एवं वादीगण के साथ धोखाधडी की है जिससे वाद प्रस्तुत करना लाजमी आया है। यदि वाद वर्णित आराजी का वादीगण को खातेदार घोषित नहीं किया जाता है एवम्

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.05.30 13:38:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

प्रतिवादी नं0 1 राजस्व रिकार्ड मे नाम अंकन के आधार पर वादीगण के कब्जे काश्त में बाधा पहुंचाने तथा वाद वर्णित आराजी को पुन बेचान, हस्तान्तरण, रहन इत्यादि करने के अवैध कृत्य मे सफल हो जाता है तो वादीगण को काफी अजहद घोर नुकसान उठाना पड़ेगा जिसकी धन से पूर्ति नही हो सकेगी एवम् वादीगण अपने मृतक पति पिता, दादा की रजिस्टर्ड विक्रयपत्र से खरीदशुदा आराजी मे प्राप्त विधिक हक अधिकार तथा आराजी से वंचित और बेदखल होना पड़ेगा एव बहु वाद कार्यवाही का सामना करना पड़ेगा जिससे वाद प्रस्तुत करना जरूरी आया है। वाद का मूल कारण वाद वर्णित आराजी को प्रतिवादी नं0 1 एव उसके भ्राता राधाकिशन मीणा से जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र मृतक लखमा उर्फ लक्ष्मण (वादीगण के पति, पिता, दादा) द्वारा खरीद करने एवं वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित नही करने तथा दिनांक 15.04.2019 से प्रतिवादी नं0 1 द्वारा वादीगण के कब्जे काश्त में बाधा एवम अवरोध उत्पन्न करके आराजी को पुनः बेचान, हस्तान्तरण की धमकी देने से उत्पन्न हुआ एवम् दिन प्रतिदिन उत्पन्न हो रहा है। वादीगण के वादपत्र के पैरा संख्या 1 में वाद वर्णित आराजी का वादीगण को मुताबिक रजिस्टर्ड विक्रयपत्र तारीख 20.6.1998 के वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी नंबर 01 का नाम विलोपित किया जाकर राजस्व रिकार्ड का इन्दाज दुरूस्ती करते हुए वाद वर्णित आराजी पर जमाबन्दी में वादीगण का नाम बतौर खातेदार काश्तकार अंकित किये जाने हेतु निवेदन वादी ने अपना वादपत्र में किया।

प्रकरण श्रवणाधिकार एंव क्षैत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जवाब नही देना चाहते है जवाब बंद किया गया। प्रतिवादी संख्या–2 व 3 द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत किया जिसे सामिल पत्रावली किया गया। जो निम्नानुसार है

प्रतिवादी संख्या–2 पैरोकार सरकार जवाब दावा निम्नानुसार है:– पत्रावली में संलग्न जमाबंदी प्रतिलिपी अनुसार वाद वर्णित आराजी खातेदारी भूमि है राजहित प्रभावित नही होता है जवाब सरकार आवश्यक नही है।

प्रतिवादी संख्या–3 जवाब दावा निम्नानुसार है:– वादपत्र का पैरा संख्या 1 राजस्व रिकॉर्ड से सम्बधित है वादपत्र का पेरा संख्या 2,3,4,6,7 गलत व अस्वीकार है वाद पत्र का पैरा संख्या 5 में प्रतिवादी संख्या 1 ने ऋण लेना स्वीकार है वादपत्र का पैरा संख्या 8,9 कानूनी है। जवाब आवश्यक नही है प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वयं के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कृषि आराजी को रहन रखकर ऋण प्राप्त किया है तथा प्रतिवादी संख्या 1 के स्वयं के नाम दर्ज आराजी को रहन रखने के उपरान्त ही उक्त प्रतिवादी संख्या 1 को प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा ऋण अदा किया गया है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उसके नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज कृषि आराजी को रहन रखकर ऋण प्रतिवादी संख्या 3 से प्राप्त किया गया था जिसका सम्पूर्ण भुगतान वादीगण अथवा प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा मय ब्याज के चुकता कर दिया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा रहन रखी गयी आराजी को ऋण मुक्त कर दिया जायेगा।

प्रार्थीगण द्वारा सहादत वादी में गवाहान श्रीमति छोटी पी.डब्ल्यू 1 व पी.डब्ल्यू 2 रामेश्वर के शपथ पत्र पेश किये। तथा गवाहान द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र पर ए टू बीप र हस्ताक्षर करवाये तथा वाद पत्र के समर्थन में जमाबंदी खाता संख्या 80, असल विक्रय पत्र दिनांक 20.6.1998, जमाबंदी संवत् 2058, जमाबंदी संवत 2041, मिलान क्षेत्रफल, वारिस प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र राधाकिशन जो असल है। एवं लक्ष्मण सिंह उर्फ लखमा तथा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.05.30 13:38:00 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner

राजस्व रिकॉर्ड का इन्द्राज दुरूस्ती करते हुए वाद वर्णित आराजी पर जमाबन्दी में वादीगण का नाम बतौर खातेदार काश्तकार अंकित किये जाने हेतु निवेदन वादी ने अपना वादपत्र में किया।

प्रकरण श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा जवाब नही देना चाहते है जवाब बंद किया गया। प्रतिवादी संख्या–2 व 3 द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। जो निम्नानुसार है

प्रतिवादी संख्या–2 पैरोकार सरकार जवाब दावा निम्नानुसार है:– पत्रावली में संलग्न जमाबंदी प्रतिलिपी अनुसार वाद वर्णित आराजी खातेदारी भूमि है राजहित प्रभावित नही होता है जवाब सरकार आवश्यक नही है।

प्रतिवादी संख्या–3 जवाब दावा निम्नानुसार है:– वादपत्र का पैरा संख्या 1 राजस्व रिकॉर्ड से सम्बधित है वादपत्र का पैरा संख्या 2,3,4,6,7 गलत व अस्वीकार है वाद पत्र का पैरा संख्या 5 में प्रतिवादी संख्या 1 ने ऋण लेना स्वीकार है वादपत्र का पैरा संख्या 8,9 कानूनी है। जवाब आवश्यक नही है प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वय के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कृषि आराजी को रहन रखकर ऋण प्राप्त किया है तथा प्रतिवादी संख्या 1 के स्वय के नाम दर्ज आराजी को रहन रखने के उपरान्त ही उक्त प्रतिवादी संख्या 1 को प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा ऋण अदा किया गया है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा उसके नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज कृषि आराजी को रहन रखकर ऋण प्रतिवादी संख्या 3 से प्राप्त किया गया था जिसका सम्पूर्ण भुगतान वादीगण अथवा प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा मय ब्याज के चुकता कर दिया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा रहन रखी गयी आराजी को ऋण मुक्त कर दिया जायेगा।

प्रार्थीगण द्वारा सहादत वादी में गवाहान श्रीमति छोटी पी.डब्ल्यू 1 व पी.डब्ल्यू 2 रामेश्वर के शपथ पत्र पेश किये। तथा गवाहान द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र पर ए टू बीप र हस्ताक्षर करवाये तथा वाद पत्र के समर्थन में जमाबंदी खाता संख्या 80, असल विक्रय पत्र दिनांक 20.6.1998, जमाबंदी संवत् 2058, जमाबंदी संवत 2041, मिलान क्षेत्रफल, वारिस प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र राधाकिशन, जो असल है। एवं लक्ष्मण सिंह उर्फ लखमा तथा परमेश्वर मीणा के मृत्यु प्रमाण पत्र की फोटो प्रति पेश कि। वादी के दस्तावेज रिकॉर्ड पर लिये गये। वादी शहादत बंद की गई। प्रतिवादी शहादत पेश नही करना चाहतें। जिरह प्रतिवादी अधिवक्ता शून्य किया गया। अंतिम बहस सुनी गई। बहस दौरान प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा 2016(2) RRT 969 निजामुद्दीन बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान पेश किया।

आदेश

हमने पत्रावली का अवलोकन किया, पक्षकारान की बहस पर मनन किया, वादी द्वारा प्रस्तुत गवाहान, व असल दस्तावेजात व प्रतिवादीगण द्वारा जवाब दावा का अवलोकन किया अतः वादी का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 व 89 राज. टिनेन्सी एक्ट सपठित धारा 136 राज. लेण्ड रेवेन्यू एक्ट का दावा डिग्री वादीगण के पक्ष में स्वीकार किया जाता है तथा वाद वर्णित आराजी वाके ग्राम काला खेत(निमेडा) तहसील सावर के खाता संख्या नया–पुराना 80–69 खसरा संख्या 312, रकबा 0.82हैक्टर में वादीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड में बतौर खातेदार अंकन किया जावे प्रतिवादी संख्या–2 जरिये तहसीलदार सावर प्रतिवादी संख्या 1 का नाम विलोपित कर वादीगण का नाम दर्ज किये जाने हेतु राजस्व रिकॉर्ड मे इन्द्राज दुरूस्ती किया जावे। तथा उक्त आराजी का प्रतिवादी संख्या–1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 3(बैंक) से ऋण ले रखा है व प्रतिवादी संख्या–3(बैंक) रहन है अतः बैंक रहन बदस्तुर जारी रहे। इस हेतु प्रतिवादी संख्या–3(बैंक) अपनी कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनिया गया।

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2022.05.30 13:38:00 IST
Reason: SelfAttested

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

Scanned with CamScanner